FROM No.III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं (SDO) बायतु मुकाम

दुलाराम बनाम सवाईराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील नं. 64/2022 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/02/22 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिखबाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 129 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 09/03/22 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (SDO)<br>बायतु<br>जिला – बाड़मेर | |
| 09/03/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विप्रार्थी संख्या-3 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः विप्रार्थी संख्या-3 के जवाब व शेष की एडी के इन्तजार में पत्रावली दिनांक-11/04/2022 को पेश हो।<br>[signature] | |

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

11/04/2022. प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड AD भिजवाये गये जिनको 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण संख्या-1,2 व 4 से 6 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-1,2 व 4 से 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली विप्रार्थी संख्या-3 के जवाब हेतु दिनांक-25/04/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

25/04/2022 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-3 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते हैं अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-12/05/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

12/05/2022 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-3 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते हैं पूर्व में अंतिम अवसर दिया गया था, न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-17/05/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/05/2022 | प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-3 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर विप्रार्थी संख्या-3 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूची (सिविल प्रेह-रिल) 1. नकल अपील संख्या-13/22 निर्णय की प्रति 2. नकल राजस्व मण्डल अजमेर IInd अपील संख्या-940/22 की आदेशिका सम्पूर्ण पेश की गई जिसमें कोई किसी प्रकार का स्थगन नहीं है जिसे शामिल पत्रावली किया गया, अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/05/2022 को पेश हो। <br>उपखण्ड अधिकारी बायतु<br>जिला-बाड़मेर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 30/05/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।<br><br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी बायतु<br>जिला-बाड़मेर |

सवामें,

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / दिनांक : 30/05/2022

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. तुलसाराम पुत्र हिमथाराम, जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल कानोड, तहसील गिडा (बाड़मेर) | | 1. सवाईराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 06, जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल कानोड, तहसील गिड़ा (बाड़मेर) |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

**राजस्व आवेदन संख्या – 64 / 2022**

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल – कानोड़, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 860 / 532 रकबा 3.5612 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 30/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 788 to 792

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कानोड़ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तुलसाराम पुत्र हिमथाराम,
4. विप्रार्थी श्री सवाईराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर